

भारत सरकार
इस्पात मंत्रालय
राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 311
05 फरवरी, 2024 को उत्तर के लिए

कच्चे इस्पात के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि

311. श्री वि. विजयसाई रेड्डी:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि वर्ष 2018 में भारत द्वारा कच्चे इस्पात के उत्पादन में जापान को पीछे छोड़े जाने के पश्चात्, कच्चे इस्पात के उत्पादन में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई है और यह वर्ष 2022-23 में केवल 111 मिलियन टन (एमटी) से बढ़कर 127 मीट्रिक टन तक पहुँचा है;
- (ख) क्या यह भी सच है कि वर्ष 2013-14 से चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) मात्र 5 प्रतिशत रही है;
- (ग) यदि हां, तो देश में कच्चे इस्पात का उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए/उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है; और
- (घ) विगत पांच वर्षों के दौरान देश में कच्चे इस्पात के उत्पादन का वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री

(श्री फग्गन सिंह कुलस्ते)

(क): वर्ष 2018 में भारत जापान को पीछे छोड़ते हुए विश्व का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक बना और तब से वहीं बरकरार है। क्रूड इस्पात उत्पादन का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

कैलेंडर वर्ष	भारत		जापान	
	स्थान	क्रूड इस्पात उत्पादन (एमटी में)	स्थान	क्रूड इस्पात उत्पादन (एमटी में)
2014*	4	87.3	2	110.7
2015	3	89.0	2	105.1
2016	3	95.5	2	104.8
2017	3	101.5	2	104.7
2018	2	109.3	3	104.3
2019	2	111.4	3	99.3
2020	2	100.3	3	83.2
2021	2	118.2	3	96.3
2022	2	125.3	3	89.2

*यूएसए 88.2 एमटी के क्रूड इस्पात उत्पादन के साथ तीसरे स्थान पर है

स्रोत: वर्ल्ड स्टील; एमटी: मिलियन टन

(ख): वर्ष 2013-14 में इस्पात उत्पादन 81.69 एमटी था जो वर्ष 2022-23 में बढ़कर 127.20 एमटी हुआ यानि लगभग 55.7% की वृद्धि हुई, जो इन 10 वर्षों की अवधि के दौरान 5.0% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) दर्शाता है।

(ग): इस्पात एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है, सरकार इस्पात क्षेत्र के विकास हेतु एक अनुकूल नीतिगत वातावरण प्रदान कर एक सुविधाप्रदाता के रूप में कार्य करती है। राष्ट्रीय इस्पात नीति 2017 के वांछित अनुमानों को प्राप्त करने के लिए किए गए उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:-

- i. सरकारी अधिप्राप्ति हेतु मेड इन इंडिया इस्पात को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी रूप से विनिर्मित लौह एवं इस्पात उत्पाद (डीएमआई एंड एसपी) नीति का क्रियान्वयन।
- ii. देश में विशेष इस्पात के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए 6,322 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ विशेष इस्पात हेतु उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को अधिसूचित करना।
- iii. देश के इस्पात क्षेत्र में इस्पात उपयोग, इस्पात की समग्र मांग और निवेश को बढ़ाने के लिए रेलवे, रक्षा, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, आवासन, नागरिक उड्डयन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, कृषि एवं ग्रामीण विकास क्षेत्रों सहित क्षमतावान उपभोक्ताओं की और अधिक सहभागिता के साथ मेक इन इंडिया पहल तथा प्रधानमंत्री गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान।
- iv. भारतीय इस्पात क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए कुछ इस्पात उत्पादों पर कारोबारी सुधारात्मक उपायों के अंशांकन (कैलिब्रेशन) के साथ इस्पात उत्पादों तथा कच्चे माल पर आधारभूत सीमा शुल्क में समायोजन।
- v. अधिक अनुकूल शर्तों पर इस्पात बनाने के लिए कच्चे माल की उपलब्धता की सुविधा हेतु अन्य देशों के अलावा मंत्रालयों और राज्यों के साथ समन्वय।

(घ): विगत पांच वर्षों के दौरान देश में कूड इस्पात उत्पादन के राज्य-वार आंकड़े **अनुलग्नक I** में दिए गए हैं।

विगत 5 वर्षों में राज्य-वार कूड इस्पात					
राज्य	कूड इस्पात उत्पादन ('000 टन में)				
	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
आंध्र प्रदेश	6933	6539	5898	7096	6288
अरुणाचल प्रदेश	39	29	0	69	40
असम	83	67	59	108	66
बिहार	563	540	465	529	576
छत्तीसगढ़	13164	13534	13183	14900	15876
दादरा और नगर हवेली	291	285	145	253	318
दमन और दीव	50	46	40	46	
दिल्ली	13	12	10	5	6
गोवा	429	423	400	407	407
गुजरात	8654	8680	8403	9189	8628
हरियाणा	803	596	731	941	833
हिमाचल प्रदेश	730	864	766	1265	1286
जम्मू और कश्मीर	136	114	118	146	162
झारखंड	17238	17209	15549	17094	18164
कर्नाटक	13327	12875	11688	13045	13393
केरल	349	304	253	325	379
मध्य प्रदेश	506	438	369	569	644
महाराष्ट्र	9114	8260	7925	11370	13810
मेघालय	65	92	37	56	73
ओडिशा	19299	20253	21432	23241	23398
पुडुचेरी	190	210	179	215	378
पंजाब	3611	3310	2917	3663	4063
राजस्थान	1158	749	589	621	681
तमिलनाडु	3036	2505	2159	2633	3481
तेलंगाना	1274	1154	1192	1464	1810
त्रिपुरा	7	12	7	17	12
उत्तर प्रदेश	1321	1198	1005	1197	1442
उत्तराखंड	1069	1077	950	991	911
पश्चिम बंगाल	7471	7764	7076	8836	10073
कुल	110921	109137	103545	120293	127197

स्रोत: संयुक्त संयंत्र समिति (जेपीसी)